राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 758/2014.. जिला : जयपुर.......
मैसर्स मनसुख भाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,जेतपुरा, जयपुर बनाम वा.क.अ.,प्रतिकरापवचंन,राज.–प्रथम,जयपुर, उपायुक्त(अपील्स)तृतीय जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से वक्त सुनवाई श्री अलकेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05..2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन,राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(6) के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2014 निर्धारण वर्ष 2001–02(रिमाण्ड आदेश की पालना मे) के सम्बन्ध में कायम की गयी मांग राशि रू.16,28,589/– में से रू. 9,77,000/ की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली रू. 6,51,589/–पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शेष वसूली योग्य रू. 6,51,589/–की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि रू. 16,28,589/– के सम्बन्ध में सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में होना बताते हुए इसमें से रू. 9,77,000/– की वसूली पर रोक लगाते हुए शेष वसूली योग्य रू. 6,51,589/–पर रोक नही लगाने के सम्बन्ध में अपने अपीलाधीन आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किये हैं । अतः उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य रू. 6,51,589/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त वसूली मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया (सुनील शर्मा) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य 15/5/14	